[2018] 4 एस. सी. आर. 599

ए.

शिववा और ए. एन. आर.

बनाम

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2018 की सिविल अपील संख्या 2247) 28 मार्च, 2018

बी.

[दीपक मिश्रा**,** मुख्य न्यायाधीश और ए**.** एम**.** खानविलकर**,** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-प्रत्यर्थी संख्या 2 के स्वामित्व वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर से गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई-अपीलार्थी संख्या 1, मृतक के पिता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी, प्रत्यर्थी संख्या 2 और चालक (प्रत्यर्थी संख्या 2 के कर्मचारी) से मुआवजे की मांग करते हुए दायर दावा याचिका-न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग, मृतक के परिवार के सदस्यों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज राशि के साथ मुआवजे के लिए निर्णय पारित किया-उच्च न्यायालय ने अपील में कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी को किसी भी दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि मृतक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर में अपने सामान के साथ यात्रा नहीं की थी और इसलिए उसे किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।न्यायाधिकरण ने पूरी तरह से साक्ष्य का विश्लेषण किया और इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए विचाराधीन दुर्घटना के संबंध में दायर आरोप पत्र को भी ध्यान में रखा कि मृतक ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर में होलीलुर की यात्रा की थी, जहां वह प्रत्यर्थी संख्या 2 से संबंधित ट्रैक्टर पर लदे मक्के के अनाज को उतारने गया था और वहां से लौटते समय दुर्घटना का सामना करना पड़ा-उच्च न्यायालय ने एक व्यापक अवलोकन के माध्यम से न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलट दिया-न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आकस्मिक तरीके से बाधित नहीं किया जा सकता था-न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि मृतक ने अपने सामान के साथ यात्रा की थी, पुष्टि और पुनर्स्थापित किया-रिकॉर्ड पर लाई गई बीमा नीति के संबंध में एक वैध नीति थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

599 ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** न्यायाधिकरण ने पीडब्लू**-2 (**प्रत्यक्षदर्शी**)** और पीडब्लू**-1 (**मृतक की मां**)** के साक्ष्य का पूरी तरह से विश्लेषण किया था और जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र के रूप में अन्य साक्ष्यों को भी ध्यान में रखा था, इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए कि मृतक ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर में होल्लूर की यात्रा की थी, जहां वह प्रत्यर्थी संख्या **2** से संबंधित ट्रैक्टर पर लदे मक्के के अनाज को उतारने गया था, जिसे प्रत्यर्थी संख्या **2** के कर्मचारी द्वारा चलाया गया था और होल्लूर से लौटते समय दुर्घटना हुई थी।जब उनसे जिरह की गई, तो पीडब्लू**-2** ने कहा कि दुर्घटना की तारीख को उन्होंने उक्त ट्रैक्टर में मक्के की फसल ली थी।विशेष रूप से, यह तथ्य कि मृतक ने अपनी कृषि उपज को ट्रैक्टर पर लादा था और उसे उतारने के लिए ट्रैक्टर के साथ होलेलुर भी गया था और लौटते समय एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, बिना किसी चुनौती के चला गया।**[**पैरा **7] [604-**बी**-**सी**,** एच**; 605-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 उच्च न्यायालय एक व्यापक अवलोकन द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने के लिए आगे बढ़ा।न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसे बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता था, बहुत कम इस तरह के आकस्मिक तरीके से, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।**[**पैरा **9] [608-**सी**-**ई**]**

ई.

1.3 उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर आधारित किया कि बीमाकर्ता को इस निष्कर्ष पर, कि दुर्घटना के समय मृतक अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, पुरस्कार को संतुष्ट करने के दायित्व के साथ भारित नहीं किया जा सकता है।न अधिक और न ही कम।हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इस तथ्य पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि और पुनर्स्थापना की जाती है कि

मृतक ने अपने सामान के साथ यात्रा की थी।यह आवश्यक रूप से होगा कि बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं था। न्यायाधिकरण ने वास्तव में पाया था कि अभिलेख पर लाई गई बीमा पॉलिसी उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर के संबंध में एक वैध पॉलिसी थी।यह मानते हुए कि बीमा कंपनी दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का विधिवत बीमा किया गया था**,** बीमाकर्ता अभी भी पहली बार में मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एफ.

जी.

एच.

601

शिवावा बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी लिमिटेड।

वाहन के मालिक **(**प्रत्यर्थी संख्या **2)** से उसी की वसूली करें।हालांकि**,** वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** इस तथ्य के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य की पुष्टि और पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप कि मृतक ने दुर्घटना के समय अपने सामान के साथ यात्रा की थी**,** बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।**[**पैरा **10,11** और **12] [608-**एफ**-**एच**; 609-**ए**-**बी**; 610-**जी**]**

बी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी **v.**स्वर्ण सिंह और ओआरएस। **(2004)**

3 एस**.** सी**.** सी**. 297-**पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

सी.

(2004) 3 एससीसी **297**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **11**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 2247।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2008 के एम. एफ. ए. सं. 4401 (एम. वी.) में धारवाड़ पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।शरणगौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रिता शरणगौड़ा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

डी.

सुश्री मीनाक्षी मिधा, कपिल मिधा, भव्य लखवाड़ा, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1.यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के 9 जुलाई, 2015 के एम. एफ. ए. No.4401/2008 (एम. वी.) में दिए गए फैसले से निकलती है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 (बीमा कंपनी) द्वारा दायर अपील को मंजूरी दी गई थी और अपीलार्थियों को मुआवजा देने वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के फैसले अपास्त करना कर दिया गया था।

एफ.

2. अपीलार्थी नं. 1 के पुत्र और अपीलार्थी नं. 2 के भाई चनबसय्या सिद्रमय्या हीरेमथ की मृत्यु के संबंध में एक दावा याचिका दायर की गई थी।23 जनवरी, 2001 को मृतक नं. 1 वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर पर अनाज उतारकर लौट रहा था। केए-29/टी-1651/टी-1652 प्रत्यर्थी संख्या 2 से संबंधित है, और प्रत्यर्थी संख्या 2 के एक कर्मचारी, मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर द्वारा संचालित किया जा रहा है।सुबह लगभग 1 बजे, यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर के उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण, मृतक गाड़ी से गिर गया।

जी.

एच.

602

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 4 एस सी आर।

ए.

ट्रैक्टर-ट्रेलर को घातक चोटें आईं।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका बाद में ट्रिब्यूनल, बागलकोट के समक्ष मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मुआवजे की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1-बीमा कंपनी, प्रत्यर्थी

संख्या 2-मालिक और चालक मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर से 8 लाख।अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मृतक ने खुद एक ट्रैक्टर हुक पर खड़े होकर लापरवाही की थी जो ट्रैक्टर और ट्रेलर को जोड़ता था और यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना मोटर वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग, मृतक के परिवार के सदस्यों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, 3.7.2001 से 29.4.2003 और 11.7.2007 से पुरस्कार राशि की प्राप्ति की तारीख तक ब्याज के साथ रु. 3,20,000-(केवल तीन लाख बीस हजार रुपये) की राशि का मुआवजा देने के लिए एक निर्णय पारित किया।

बी.

सी.

3. पीड़ित, प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के फैसले पर यह तर्क देते हुए हमला किया कि मृतक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर में अपने सामान के साथ यात्रा नहीं की थी और इसलिए, उसे किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता पाई, कि दुर्घटना के समय मृतक अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था और इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी को उस संबंध में किसी भी दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है।

डी.

ई.

4. अपीलार्थियों ने विवादित फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि उच्च न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा और यह तथ्य कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जिसके बिना परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था।अपीलार्थियों का यह भी कहना है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा कम और अनुचित थी और इसलिए वे न्यायाधिकरण के फैसले को बढ़ाने की भी मांग करते हैं।

एफ.

5. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री शरणगौड़ा पाटिल और प्रत्यर्थियों की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी मिधा को सुना है।यह ध्यान दिया जाए कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपीलार्थियों का दावा केवल प्रत्यर्थी संख्या 1-बीमा कंपनी और प्रत्यर्थी संख्या 2-वाहन के मालिक के खिलाफ है।

जी.

एच.

603

शिवावा बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

6. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बीमाकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 1) को अधिनिर्णय को संतुष्ट करने के दायित्व से भारित नहीं किया जा सकता है और उस निष्कर्ष पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा की गई अपील को अनुमति दी गई है।जिस कारण से उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय के साथ वजन किया गया, जैसा कि विवादित फैसले से समझा जा सकता है, वह पीडब्लू-2 (चश्मदीद गवाह) के साक्ष्य के चुनिंदा अध्ययन पर आधारित है, जिसने कहा था कि मृतक ट्रैक्टर और ट्रेलर को जोड़ने वाले हुक पर खड़ा था और मृतक ट्रैक्टर के उतावलेपन से चलने के कारण नीचे गिर गया, जो उसके सिर और छाती पर चढ़ गया था।उच्च न्यायालय ने मृतक की मां पीडब्लू-1 के साक्ष्य को भी चुनिंदा रूप से स्वीकार किया है और राय दी है कि उसके साक्ष्य का भी यही प्रभाव था।इसके अलावा, उसने कहा है कि मृतक बी. ए. में पढ़ रहा था और पान-बीड़ी की दुकान चला रहा था।इस पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन गवाहों के साक्ष्य को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़ित दुर्घटना के समय अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, जो रात के लगभग 1 बजे हुई थी।इस राय को दर्ज करने पर, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया।उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण निम्नलिखित शब्दों में हैः

बी.

सी.

डी.

“6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं और तर्क देते हैं कि पी. डब्ल्यू. 2 एक चश्मदीद गवाह है और न्यायालय के समक्ष गवाही देता है कि होल्लूर से लौटते समय, ट्रैक्टर का चालक उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चला रहा था और दुर्घटना का कारण बना जिसमें मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। Ex. पी-1 मृतक के पिता द्वारा दी गई शिकायत है।इसमें कहा गया है कि 22.01.2001 पर उनका बेटा प्रत्यर्थी नंबर 1 से संबंधित ट्रैक्टर में होल्लूर गया था और लगभग 1 बजे लौट रहा थाः00 22 और 23 जनवरी, 2001 की दरम्यानी रात को हुए हादसे में बेटे को गंभीर चोटें आई हैं।इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक ट्रैक्टर को ट्रेलर से जोड़ने वाले हुक में खड़ा था और पीड़ित लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण नीचे गिर गया और ट्रैक्टर उसके सिर और छाती के ऊपर से गुजर गया।पी. डब्ल्यू. 1, माँ के साक्ष्य का भी यही प्रभाव है।उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि मृतक बी. ए. में पढ़ रहा था और पान बीड़ी की दुकान चला रहा था।

ई.

एफ.

जी.

7. सभी गवाहों को एक साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि दुर्घटना के समय पीड़ित अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था।दुर्घटना लगभग 00 बजे हुई है:01 रात के घंटे। इन परिस्थितियों में बीमाकर्ता को देयता से नहीं जोड़ा जा सकता है।

एच.

पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए।अपील विचार के योग्य है और तदनुसार अनुमति दी गई है।"

7. दूसरी ओर, न्यायाधिकरण के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायाधिकरण ने पीडब्लू-2 और पीडब्लू-1 के साक्ष्य का पूरी तरह से विश्लेषण किया था और इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए विचाराधीन दुर्घटना के संबंध में पंजीकृत अपराध 2001 के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र के रूप में अन्य साक्ष्यों को भी ध्यान में रखा था कि मृतक ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर में होल्लालूर की यात्रा की थी, जहां वह प्रत्यर्थी संख्या 2 से संबंधित ट्रैक्टर पर लदे मक्के के अनाज को उतारने गया था, जिसे मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर द्वारा चलाया गया था और होल्लालूर से लौटते समय दुर्घटना हुई थी।अपने मुख्य परीक्षण में, पीडब्लू-1 ने निम्नानुसार पदच्युत किया:"दुर्घटना के घातक दिन यानी 23.01.2001 को शाम को लगभग 5 बजे:00 शाम को, मेरा बेटा मृतक चनबसय्या कमीशन एजेंट की दुकान में अनाज उतारने के लिए होल-अलूर गया था, जिसे टी. टी. इकाई में बेचने के लिए उसमें आई. डी. 1,29/टी-1651 वाला टी-1652 बसनगौड़ा हिरेनिगनगौदर का है, अनाज उतारने के बाद हमारा है, जब वह उक्त टी. टी. इकाई में मेरे बेटे के साथ गांव लौट रहा था, तो उक्त टी. टी. इकाई का चालक जल्दबाजी में वाहन चला रहा था और चालक की इस लापरवाही के कारण हेबली गांव के पास अनाप्पना हॉल (धारा) में दुर्घटना हो गई, मेरा बेटा टी. टी. इकाई से नीचे गिर गया और उक्त वाहन उसके सिर पर से गुजर गया। अस्पताल बादामी।"

बी.

सी.

डी.

ई.

पीडब्लू-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस प्रकार कहाः“23.11.2001 पर लेफ्टिनेंट चनबसय्या और मैं एक साथ उक्त ट्रैक्टर में मक्का लादे हुए बसनगौड़ा हिरनिंगनगौडर के ट्रैक्टर में रोन गए और हमारे शहर के पास वापस लौटते समय गणपन गांव के पास ट्रैक्टर के चालक ने बहुत जल्दबाजी और लापरवाही से एक ट्रैक्टर चलाया और तेज गति से मानव जीवन को खतरे में डाल दिया और लेफ्टिनेंट चनबसय्या को घायल कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैंने उक्त दुर्घटना देखी है।ट्रैक्टर में मेरे जैसे अन्य लोग भी थे।”

एफ.

जी.

जब उनसे जिरह की गई, तो पीडब्लू-2 ने कहा कि दुर्घटना की तारीख को उन्होंने उक्त ट्रैक्टर में मक्के की फसल ली थी।विशेष रूप से, यह तथ्य कि मृतक ने अपनी कृषि उपज को ट्रैक्टर पर लादा था और ए

एच.

605

शिवावा बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उसे उतारने के लिए ट्रैक्टर के साथ होलेलुर गया और लौटते समय एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, बिना चुनौती के चला गया।

8. पूरे साक्ष्य के आलोक में, न्यायाधिकरण ने इस प्रकार पाया किः

“7. .....इस तथ्य का खंडन प्रत्यर्थी नं.3 और इस प्रकार मुद्दा संख्या 1 को साबित करने का भार याची पर है और मुद्दा संख्या 1 को साबित करने के लिए दूसरे याची से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की जाती है जिसने अपना हलफनामा साक्ष्य दायर किया है और पीडब्लू-1 ने ट्रैक्टर और ट्रेलर से संबंधित 23.1.2001 पर अपने बेटे मृत चनबसय्या को हुई दुर्घटना के संबंध में अपने साक्ष्य में गवाही दी है जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से संबंधित है।1 प्रत्यर्थी सं।2 दुर्घटना की तिथि पर।प्रत्यर्थी नं. के लिए वकील के माध्यम से।3 पी. डब्ल्यू.-1 की जांच की गई, लेकिन पी. डब्ल्यू.-1 ने अपने साक्ष्य को त्यागने के लिए प्रवेश नहीं दिया है।यहां तक कि पीडब्लू-1 ने भी इस सुझाव का खंडन किया है कि मृतक ट्रैक्टर ट्रेलर में एक हुक भाग पर खड़ा था जो उस दिन वाहन के ट्रैक्टर इंजन और ट्रेलर भाग को जोड़ता है और यात्रा कर रहा था, लेकिन पीडब्लू-1 ने इस सुझाव का खंडन किया है।प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी घप्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी याची प्रत्यर्थी

प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी डप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी 2 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी छप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी छप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी फप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी भप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी धप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी 2 प्रत्यर्थी 3 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी 2 प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ृप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी णप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी घप्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ।प्रत्यर्थी 1.इस गवाह से प्रत्यर्थी नं. के वकील द्वारा भी जिरह की जाती है। 3, लेकिन पीडब्लू-2 के साक्ष्य को त्यागने के लिए कुछ भी नहीं मिला है।याचिकाकर्ताओं ने पुलिस दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जिन्हें एक्स. पी.-1 के अनुसार पीडब्लू-1 के माध्यम से चिह्नित किया गया है।5. एक्स. पी.-1 प्रथम याची अर्थात मृतक के पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार अपराध No.12/2001 में बादामी पी. एस. के समक्ष दर्ज प्राथमिकी की वास्तविक प्रति है।279 और आई. पी. सी. की धारा 304 (ए)। शिकायत की प्रति भी एफ. आई. आर. के साथ संलग्न की गई है जिसमें याची नं.1 टी. टी. इकाई के चालक के खिलाफ 23.1.2001 पर बादामी पी. एस. के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई है।एक्स. पी.-2 आई. ओ. द्वारा प्रत्यर्थी नं. 2 के खिलाफ दायर आरोप पत्र है।2, जे. एम. एफ. सी. बादामी के समक्ष टी. टी. इकाई का चालक, जिसमें 2001 का <आई. डी. 1 वाला आपराधिक मामला टी. टी. इकाई के चालक के खिलाफ दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था।279 और आई. पी. सी. की धारा 304 (ए)। Ex.P3 स्पॉट मजार है और Ex.P-3 की सामग्री स्पष्ट रूप से घटनास्थल और दुर्घटना को साबित करती है और यह याची ओं द्वारा अपने दावे याची में राहत

के रूप में दुर्घटना स्थल के साथ भी पुष्टि करता है।एक्स. पी.-4 आई. एम. वी. रिपोर्ट है जो मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा टी. टी. इकाई की जांच के बाद दायर की जाती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

दुर्घटना और यह दस्तावेज़ साबित करता है कि विचाराधीन दुर्घटना वाहन में किसी यांत्रिक दोष के कारण नहीं हुई थी।एक्स. पी.-5 बादामी में एम. ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा की गई मृतक चनबसय्या की पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट है और पी. एम. रिपोर्ट के अनुसार मौत सिर में चोट लगने और मृतक के मस्तिष्क के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने के कारण हुई थी।" न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा की गई याचिका पर भी विचार किया, जिसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने वाले अपने अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से निम्नलिखित शब्दों में स्थापित करने की मांग की गई थी:"8. प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपने अधिकारी से पूछताछ की है जो प्रत्यर्थी सं. 3 के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं।3 और इस गवाह ने सी. पी. सी. के यू/0 18 नियम 4 को स्वीकार करते हुए हलफनामा दायर किया है जिसमें आर. डब्ल्यू.-1 ने कहा है कि मृतक चनबसय्या की मृत्यु ट्रैक्टर ट्रेलर के हुक भाग पर खड़े होने के कारण हुई थी और दुर्घटना की तारीख को उनकी लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।लेकिन इस तर्क के समर्थन में आर. डब्ल्यू.-1 ने Ex.P-1 से Ex.P-5 के लिए कोई खंडन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ँप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी डप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी

ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी E प्रत्यर्थी x प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी P प्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ठप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ृप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ।प्रत्यर्थी 1 किराया के आधार पर और आर. डब्ल्यू.-1 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान उसे दिए गए इस सुझाव का खंडन किया है कि वह इस बारे में गलत सबूत पेश कर रहा है कि मृतक एक ट्रैक्टर हुक पर खड़ा था जो इंजन और ट्रेलर भाग को जोड़ता है।आर. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, हालांकि प्रत्यर्थी नं.3 दावा याचिका में दायर अपनी याचिका में और आर. डब्ल्यू.-1 ने भी अपने मौखिक साक्ष्य में कहा कि दुर्घटना स्वयं मृतक की घोर लापरवाही के कारण हुई थी, लेकिन इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई ठोस और मौखिक साक्ष्य नहीं है और न ही प्रत्यर्थी नं.3.इसके विपरीत, पीडब्लू-1 और 2 और एक्स. पी.-1 से लेकर <आई. डी. 1 तक के साक्ष्य हैं जो सी. सी. फाइल से प्राप्त दस्तावेज हैं जिसमें याची संख्या 1 द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, आरोपी यानी टी. टी. इकाई के चालक और आई. ओ. के खिलाफ उचित जांच के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।2 जो दुर्घटना की तारीख को टी. टी. इकाई का चालक था और इसलिए प्रत्यर्थी सं. द्वारा दस्तावेजों से इनकार नहीं किया गया है।3. इसके विपरीत, Ex.P-1 से Ex.P-5 स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि विचाराधीन दुर्घटना टी. टी. इकाई के चालक की कार्रवाई योग्य लापरवाही के कारण हुई थी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 ए.

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

607

शिवावा बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उक्त ट्रैक्टर और ट्रेलर को 23.1.2001 पर चलाते हुए और चोलचागुड्डा-गोवनकोप्पा पीडब्ल्यूडी रोड पर हेब्बल्ली गांव से सिर्फ 1 कि. मी. दूर गनप्पन हल्ला के पास सुबह 1 बजे दुर्घटना का कारण बना और चालक की घोर लापरवाही के कारण चनबसय्या की मौत हो गई, जिसने उस दिन उक्त टी. टी. इकाई में यात्रा करते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया और इसलिए लापरवाही को स्पष्ट रूप से टी. टी. इकाई के चालक की ओर से जिम्मेदार ठहराया जाता है और चनबसय्या की मृत्यु सड़क यातायात दुर्घटना का निकटतम कारण थी जो सेक. एम. वी. अधिनियम की धारा 166 और याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए इस सकारात्मक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जाता है, लेकिन प्रत्यर्थी नं.3 अस्वीकार किया जाना चाहिए और यह मानने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि चनबसय्य की मृत्यु उनकी अपनी लापरवाही के कारण हुई थी।इसलिए, पीडब्लू-1 और 2 और आरडब्ल्यू-1 के साक्ष्य की सराहना के बाद और Ex.P-1 से Ex.P-51 के अवलोकन के बाद, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या के खिलाफ मुद्दा संख्या 1 साबित किया है।1 3 तक। तदनुसार, सं.1 सकारात्मक जवाब दिया जाता है।"

बी.

सी.

डी.

और फिर से पैराग्राफ 11 में मुआवजे की पात्रता के मुद्दे पर इस प्रकार उल्लेख किया गया हैः-

"...याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तक संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का दावा किया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 उल्लंघन करने वाले वाहन प्रत्यर्थी संख्या 2 के वाहन चालक का मालिक है और प्रत्यर्थी संख्या 3 बीमाकर्ता है, लेकिन बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले आर. डब्ल्यू.-1 ने अपने दायित्व से इनकार करते हुए यह तर्क देते हुए सबूत दिया है कि, विशेष रूप से Ex.R-1 की शर्त खंड "ए" का उल्लंघन है, जिसमें मृतक ने कमीशन एजेंट की दुकान में अलूर छेद में मकई के मकई को फेंकने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के वाहन को किराए पर लिया था।आर. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य में बीमा कवर नोट प्रस्तुत किया जाता है और इसे एक्स. एच. पी.-1 पर चिह्नित किया जाता है।प्रत्यर्थी सं. 3 के तर्क को इस न्यायाधिकरण द्वारा इस बचाव पक्ष के संबंध में खारिज कर दिया गया है कि चनबसय्या की मृत्यु उनकी घोर लापरवाही के कारण हुई थी।एक्स के अवलोकन पर। आर 1 यह प्रत्यर्थी संख्या 1 से उसकी टी. टी. इकाई पर प्राप्त वैध पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी की अवधि 12.2.2000 से

11.2.2001 तक शुरू होती है।क्रॉस परीक्षा में आर. डब्ल्यू.-1 के प्रवेश को देखते हुए, जिसमें आर. डब्ल्यू.-1 को उनके क्रॉस में भर्ती किया गया था, निम्नानुसार हैः-

ई.

एफ.

जी.

".....इसके विपरीत, मृतक प्रत्यर्थी नंबर 1 के स्वामित्व वाले वाहन में मक्का फेंकने गया था।

एच.

इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 का यह तर्क कि वाहन और इसका उपयोग किराए और पुरस्कार के लिए किया गया था, अभिलेख पर किसी भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं होता है।इसके विपरीत, उल्लंघन करने वाले वाहन टी. टी. इकाई का उपयोग प्रत्येक बिक्री केंद्र यानी होल-अलूर में कमीशन एजेंट की दुकान तक खाद्यान्न ले जाने के लिए किया जाता था, जिसे याचिकाकर्ता परिवार की एक कृषि उपज ट्रैक्टर-ट्रेलर कहा जाता था।इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया यह निर्णय उपयुक्त रूप से लागू होता है जिसमें वाहन का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए होता है न कि किसी अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए।एक बार जब मृतक द्वारा कृषि उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी नीतिगत शर्तों का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं उठेगा।

बी.

सी.

9. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने एक व्यापक अवलोकन द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलट दिया।जबकि, न्यायाधिकरण ने पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य और अपराध के संबंध में दायर आरोप पत्र के साथ दी गई सामग्री के साथ-साथ बीमाकर्ता द्वारा ली गई याचिका और आर. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य पर भी विधिवत विचार किया था।हमारी राय में, न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसे बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता था, बहुत कम इस तरह के आकस्मिक तरीके से, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

डी.

10. विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए अन्य निष्कर्षों को भी स्वीकार नहीं किया है, जिसमें दुर्घटना के तरीके के बारे में और विशेष रूप से, ट्रैक्टर के चालक के उतावलेपन और लापरवाही के बारे में बताया गया है, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप चनाबसय्या की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी।उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु, व्यवसाय और आय के प्रमाण और न्यायसंगत और उचित मुआवजे की मात्रा के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को भी स्वीकार नहीं किया है।उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के आधार पर कहा कि बीमाकर्ता को इस निष्कर्ष पर, कि दुर्घटना के समय मृतक अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, पुरस्कार को संतुष्ट करने के दायित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है।न अधिक और न ही कम।हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इस तथ्य पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि और पुनर्स्थापना करनी होगी कि मृतक ने अपने सामान के साथ यात्रा की थी।यह आवश्यक रूप से होगा कि बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं था।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायाधिकरण ने वास्तव में पाया है कि अभिलेख पर लाई गई बीमा पॉलिसी ए में एक वैध पॉलिसी थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

609

शिवावा बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी लिमिटेड [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

12.02.2000 से 11.02.2001 तक की अवधि के लिए उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का सम्मान।

11. यह मानते हुए कि बीमा कंपनी दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का विधिवत बीमा किया गया था, बीमाकर्ता अभी भी राष्ट्रीय बीमा कंपनी के मामले में स्पष्टीकरण के आलोक में वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 2) से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ पहली बार में मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य। 1 उक्त निर्णय के पैराग्राफ 110 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:

बी.

“110. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार हैः

सी.

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय 11 जो तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ वाहनों का अनिवार्य बीमा प्रदान करता है, मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे द्वारा राहत देने के लिए एक सामाजिक कल्याण कानून है।सभी वाहनों के अनिवार्य बीमा कवरेज के प्रावधान इस सर्वोपरि उद्देश्य के साथ हैं और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए ताकि उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके।

डी.

(बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए या धारा 166 के तहत दायर दावा याचिका में बचाव करने का हकदार है, अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) के संदर्भ में।

ई.

(iv) हालांकि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव (ओं) को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से 'उल्लंघन' भी स्थापित करना चाहिए।

एफ.

(v) XXX

(vi) XXX

जी.

(vii) XXX

(viii) XXX

(ix) XXX

1 (2004) 3 एससीसी 297

एच.

610 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 4 एस. सी. आर.

(x) जहां अधिनियम के तहत दावे के निर्णय पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीमाकर्ता ने उप**-**धारा **(7)** सहपठित धारा **149 (2)** के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक रूप से अपना बचाव साबित कर दिया है**,** जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्याख्या की

गई है**,** न्यायाधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता मुआवजे और अन्य राशियों के लिए प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है जो उसे न्यायाधिकरण के निर्णय के तहत तीसरे पक्ष को देने के लिए मजबूर किया गया है।भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब अधिनियम की धारा **168** की उप**-**धारा **(3)** के अनुसार बीमित व्यक्ति न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में दी गई राशि जमा करने में विफल रहता है।

बी.

सी.

डी.

(xi) उप**-**धारा **(4)** में उसके अधीन परन्तुक और उप**-**धारा **(5)** में निहित परंतुक **,** जिनका उद्देश्य बीमाकृत की ओर से बीमा अनुबंध के तहत भुगतान की गई राशि की वसूली करने में बीमाकर्ता को सक्षम बनाने के लिए उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट आकस्मिकताओं को शामिल करना है**,** न्यायाधिकरण द्वारा सहारा लिया जा सकता है और बीमाकृत के खिलाफ बीमाकर्ता के दावों और बचाव तक विस्तारित किया जा सकता है**,** उन्हें उन मामलों में नियमित न्यायालय के समक्ष उपचार के लिए छोड़ दिया जा सकता है जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उनके दावों का निर्णय पीड़ितों के दावों के निर्णय में देरी कर सकता है।**”**

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 12.तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमें यह विचार रखने में कोई संकोच नहीं है कि दुर्घटना के समय मृतक के अपने सामान के साथ यात्रा करने के तथ्य के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य की पुष्टि और पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

जी.

13. अपीलार्थियों के इस तर्क पर लौटते हुए कि न्यायाधिकरण ने मुआवजे की राशि की गणना करने में स्पष्ट त्रुटि की है, हम

एच.

पता लगाएँ कि अपीलार्थियों (दावेदारों) ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के उस हिस्से के खिलाफ मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए अपील दायर नहीं की थी और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष बीमाकर्ता द्वारा दायर पहली अपील में कोई प्रति-आपत्ति दायर करने का विकल्प चुना था।इसके अलावा, उच्च न्यायालय के फैसले से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थियों की ओर से उन आधारों पर बढ़ी हुई मुआवजे की राशि मांगने का कोई प्रयास किया गया था जो उस ओर से अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध होता।उल्लेखनीय है कि वर्तमान अपील में भी, अपीलार्थियों ने मुआवजे की मात्रा के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के उस हिस्से के खिलाफ कोई "राहत" नहीं मांगी है।इस अपील में दावा की गई राहत केवल बीमाकर्ता द्वारा पसंद की गई पहली अपील में पारित उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करनाने के लिए है।इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए अपीलार्थियों (दावेदारों) के कहने पर मुआवजे की मात्रा के संबंध में तर्क पर विचार करना उचित नहीं होगा।

बी.

सी.

14. नतीजतन, अपील केवल बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर पहली अपील में पारित उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द करने की सीमा तक सफल होगी, जैसा कि अनुरोध किया गया था और परिणामस्वरूप, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बदलाकोट द्वारा पारित 21 जनवरी, 2008 के पुरस्कार को बहाल करके।हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।
15. उपरोक्त शर्तों में लागत के साथ अपील की अनुमति है।

डी.

ई.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.